भारत को विकलांगजन अनुकूल बनाने के लिए सुगम भारत अभियान

भौतिक दृष्टि से एक सक्षम वातावरण का निर्माण एक ऐसा विषय है, जिसे बहुत सामान्य ढंग से लिया जाता रहा है। सीढ़ियां, साइडवॉक, सलाखें, बाधाएं, मोड़, तंग मार्ग आदि ऐसी बाधाएं हैं, जिन्हें हमें पार करना होता है अथवा सामान्यतः उनसे गुजरना होता है। परंतु, किसी विकलांगजन के लिए कोई पटरी या कुछ सीढ़ियां चढ़ना एक बड़ी बाधा हो सकता है। हम यातायात सिग्नलों, श्रव्य घोषणाओं, संकेतों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, जो विभिन्न सुविधाओं को इस्तेमाल करने के बारे में हमें जानकारी या दिशा प्रदान करते हैं। संकेतक, चाहे वे कितने ही बेहतर ढंग से लगाए गए हों, और सूचना प्रदान करने की दृष्टि से कितने ही अधिक सक्षम हों, लेकिन दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए वे तभी कारगर होंगे जब उन्हें समुचित ढंग से तैयार किया गया हो।

हम अपने जीवन में कभी कभार सभी भौतिक दृष्टि से अक्षम होते हैं। क्षतिग्रस्त टांग वाला व्यक्ति, कोई बच्चा, प्रैम के साथ जा रही कोई मां, बुजुर्ग व्यक्ति आदि किसी न किसी तरह से अक्षम ही होते हैं। इस प्रकार विकलांगजनों की जरूरतें अधिसंख्य आबादी की जरूरतों के अनुकूल होती हैं। उनके लिए प्रदान की गई सुविधाएं सभी के लिए उपयोगी होती हैं। वास्तव में, बहुसंख्य लोगों के लिए सुविधाओं का डिजाइन तैयार करना अलग अलग क्षमताओं और अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइनिंग और नियोजन से संबद्ध है।

समाज का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य विकलांगजनों को समाज से जोड़ना है ताकि वे समाज में सक्रिय योगदान कर सकें और सामान्य जीवन जी सकें। आदर्श स्थिति

यह है कि एक विकलांगजन अपने घर, कार्यस्थल और अन्य लक्ष्यों तक स्वतंत्र रूप में सुविधापूर्वक और सुरक्षित ढंग से पहुंच सके। विकलांगजनों को भौतिक सुविधाओं तक जितनी अधिक पहुंच हम प्रदान कर सकेंगे, उतना ही अधिक उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा।

विकलांगजनों के सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण के प्रति सरकार की सुदृढ़ वचनबद्धता को देखते हुए सार्वभौमिक सुगमता के लिए जन जागरूकता की तत्काल आवश्यकता है। भारत विकलांगजन अधिकारों से संबंधित यूएन कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है। यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 9 में सभी सरकारों पर यह दायित्व डाला गया है कि वे विकलांगजनों को सुगमता प्रदान करने के लिए समुचित उपाय सुनिश्चित करें ताकि वे अन्य व्यक्तियों के समान भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इनमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा अन्य सुविधाओं और सेवाओं को सुगम बनाना भी शामिल है ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं को विकलांगजनों के अनुकूल बनाया जा सके। बाद में ईएससीएपी क्षेत्र की सरकारें 29.10.2012 से 02.11.2012 के दौरान कोरियाई गणराज्य में इंचन में एकत्र हुईं और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में विकलांगजनों के लिए ''अधिकारों को वास्तविकता प्रदान करने'' की इंचन कार्यनीति का अनुमोदन किया। इंचन कार्यनीति यूएनसीआरपीडी पर आधारित है और विकलांगजनों के लिए क्षेत्रीय रूप में सहमत प्रथम ''विकास लक्ष्य'' निर्धारित करती है। इंचन कार्यनीति के लक्ष्य संख्या 3 में कहा गया है कि भौतिक वातावरण, सार्वजनिक परिवहन, ज्ञान, सूचना और संचार तक पहुंच प्रदान करना एक समावेशी समाज में विकलांगजनों को अधिकार प्रदान करने की पूर्व शर्त है। सार्वभौमिक डिजाइन के आधार पर शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को सुगम बनाने से न केवल विकलांगजनों के लिए

बल्कि समाज के अन्य सदस्यों के लिए भी सुरक्षा और इस्तेमाल की सुविधा बढ़ाने में मदद मिलती है।

विकलांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 44, 45 और 46 में भी भेदभाव रहित भागीदारी, भेदभाव रहित सड़कों और निर्मित क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 46 के अनुसार राज्य निम्नांकित व्यवस्था करेंगे:

i) सार्वजनिक भवनों में रैम्पों का निर्माण

ii) व्हीलचेयर इस्तेमालकर्ताओं के लिए शौचालयों का प्रावधान

iii) एलीवेटरों या लिफ्टों में ब्रेल प्रतीकों और श्रव्य संकेतों की व्यवस्था

iv) अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य पुनर्वास केंद्रांे में रैम्पों का निर्माण।

विकलांगजन अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ने सुगम भारत अभियान का प्रारूप तैयार किया है। इसका लक्ष्य विकलांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना है। अभियान के दौरान सार्वभौमिक सुगमता के लिए 3 पृथक लक्ष्य रखे गए हैं। ये हैं - निर्मित वातावरण, परिवहन पारिस्थितिकी प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी प्रणाली। इसमें परिभाषित समय सीमा के साथ महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं। अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आईटी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें विभिन्न सम्बद्ध पक्षों की प्रतिबद्धता/भागीदारी हासिल करने के उपाय शामिल किए गए हैं। विभाग ने विभिन्न राज्य सरकारों से

कहा है कि वे बड़े शहरों में 50 से 100 सार्वजनिक भवनों की पहचान करे और साथ ही नागरिक केंद्रित सार्वजनिक वेबसाइटों की भी पहचान करें, जो पूर्ण सुगम बनाने पर विकलांगजनों के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित कर सकें। एक बार पहचान होने के बाद इन भवनों और वेबसाइटों का व्यावसायिक एजेंसियों द्वारा ''सुगमता परीक्षण'' किया जाएगा। परीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा भवनों, परिवहन और वेबसाइटों की रिट्रोफिटिंग और रूपांतरण के उपाय किए जाएंगे। इसमें विकलांगजनों के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम अधिनियम (एसआईपीडीए) की पूरक भूमिका रहेगी, जो विकलांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा विकलांगजनों के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक सामूहिक प्रयास है।

विकलांगजन अधिकारिता विभाग गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय के साथ मिल कर काम कर रहा है ताकि देश में क्रमशः 'सुगम पुलिस स्टेशन', 'सुगम अस्पताल' और 'सुगम पर्यटन' की व्यवस्था की जा सके। विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ भी समन्वय कर रहा है ताकि कैप्शनिंग, भाषण का पाठ और आॅडियो डिस्क्रिप्शन जैसे उपायों के जरिए टेलीविजन कार्यक्रमों की सुगमता विकलांगजनों के लिए बढ़ाई जा सके।

विकलांगजन सशक्तता अधिकारिता विभाग वेब पोर्टल के साथ एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार करने की भी प्रक्रिया में है, जिसके जरिए दुर्गम स्थानों के बारे में भीड़ से अनुरोध प्राप्त किए जा सकें। इस ऐप को मोबाइल फोन पर डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति दुर्गम सार्वजनिक स्थान (जैसे कोई स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय आदि) का फोटोग्राफ या वीडियो चित्र क्लिक कर सकता है और उसे एक्सेसिबल इंडिया पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। यह पोर्टल सुगमता परीक्षण के लिए अनुरोध, वित्तीय मंजूरी और भवन को पूरी तरह सुगम बनाने के लिए अंतिम

रिट्रोफिटिंग जैसे उपायों के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा। मोबाइल ऐप और पोर्टल बड़ी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अभियान में शामिल करने के भी प्रयास करेगा ताकि वे सुगमता जांच और भवन/परिवहन/वेबसाइट के सुगमता-रूपांतरण के लिए मदद कर सकें।

अभियान के एक उपाय के रूप में, विभाग ने आईटी कंपनियों से भी हित प्रदर्शित करने की मांग की है ताकि वे सभी भारतीय भाषाओं में ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कर सकें जिसकी सहायता से निकटतम सुगम स्थानों का पता लगाया जा सके। इस मोबाइल ऐप के साथ कोई भी विकलांग व्यक्ति किसी सुगम बैंक काउंटर, रेस्त्रां, एटीएम या थिएटर (और ऐसी ही अन्य सुविधाएं) की तलाश कर सकेगा। मोबाइल ऐप में इस्तेमालकर्ताओं द्वारा सुगम स्थान का मूल्यांकन/रेटिंग करने का भी प्रावधान होगा।

विकलांगजन अधिकारिता विभाग अभियान शुरू करने से पहले से ही लोगों के साथ गहन संपर्क स्थापित कर रहा है। उदाहरण के लिए विभाग ने माईजीओवी प्लेटफार्म पर सुगम भारत अभियान के लिए लोगो और आदर्श वाक्य के बारे में सुझाव आमंत्रित किए और इनमें से प्रत्येक के लिए विभाग को 500 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।